न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 07/2020 अपील

1.मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिनेशचन्द्र पाटिल डी जी एम (माईन्स) जिन्दल सॉ लिमि. आराजी नं. 9697/6911 तिरंगा पहाडी के पास, पुर भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा भीलवाडा
–अपीलार्थी		– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व तहसीलदार बनेडा बमामले प्रकरण संख्या 1159 दिनांक 04.06.2012

उपस्थित –
1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषाक – प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.06.2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार बनेडा नामान्तरकरण सं. 1159 दिनांक 04.06.2012 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चमनपुरा तहसील बनेडा में अवस्थित खसरा संख्या 717/1, 718/1, 722/1, 723, 724, 725, 726/1, 727/1, 1336/1, 1343, 1346/1, 1347/1, 1348/2, 1350, 1353, 1354/1, 1356/1 किता 17 रकबा 202.03 बीघा बिलानाम चारागाह भूमि राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी को खनन प्रयोजनार्थ लीज पर आवंटित की गयी और आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का भौतिक आधिपत्य विद्यमान हैं। उक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2061–64 के खाता संख्या 350 में भूमि की किस्म / वर्गीकरण चारागाह अपीलार्थी को आवंटन के समय अभिलिखित रही है। आवंटित भूमि का खाता अपीलार्थी के नाम बजरिये नामान्तरकरण संख्या 1159 दिनांक 04.06.2012 से दर्ज किया गया। भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी को करते समय भूमि की किस्म / वर्गीकरण चारागाह के बजाय प्रश्नगत नामान्तरकरण में गे.मु. खान पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित

रद्दोबदल में सहवन से दर्ज किया गया एवं उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण का अमलदरामद जमाबन्दी संवत् 2065–68 मे कर दिया गया और उक्त नामान्तरकरण संख्या 1159 में जमाबन्दी संवत् 2069–72 में खसरा संख्या 717/1, 718/1, 722/1, 726/1, 727/1, 1336/1, 1346/1, 1347/1, 1348/2, 1354/1, 1356/1 कुल किता 11 रकबा 105.16 बीघा में भूमि की किस्म /वर्गीकरण चारागाह के बजाय गे. मु. खान अंकित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.06.2012 पारित करते समय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की भूमि की किस्म /वर्गीकरण चारागाह के अंकन की जांच नहीं की और प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है जो विधि सम्मत नहीं हैं। इस प्रकार प्रश्नगत नामान्तरकरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गयी है ओर उक्त प्रविष्टि के आधार पर अपीलार्थी की खनन संबंधी गतिविधियां बाधित हो रही हैं। अपीलार्थी को इस संबंध में जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 04.06.2020 को हुयी। जानकारी दिनांक से ही अपील प्रचलित समयावधि में प्रस्तुत हैं। फिर भी दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2012 में संशोधन किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1159 में वर्णित अपीलार्थी को आवंटित भूमि की किस्म/ वर्गीकरण गे.मु. खान के बजाय जमाबन्दी संवत् 2061–64 में वर्णित भूमि की किस्म/वर्गीकरण चारागाह अंकित किये जाने और इसी अनुसार अधिकार अभिलेख में अंकन किये जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित कराया जाये।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.06.2020 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा ने मूल रिकार्ड मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चमनपुरा तहसील बनेडा की भूमि का

नामान्तरकरण अपीलार्थी को करते समय भूमि की किस्म / वर्गीकरण चारागाह के बजाय प्रश्नगत नामान्तरकरण में गे.मु. खान पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित रद्दोबदल में सहवन से दर्ज किया गया एवं उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण का अमलदरामद जमाबन्दी संवत् 2065–68 मे कर दिया गया और उक्त नामान्तरकरण संख्या 1159 में जमाबन्दी संवत् 2069–72 में खसरा संख्या 717/1, 718/1, 722/1, 726/1, 727/1, 1336/1, 1346/1, 1347/1, 1348/2, 1354/1, 1356/1 कुल किता 11 रकबा 105.16 बीघा में भूमि की किस्म/वर्गीकरण चारागाह के बजाय गे. मु. खान अंकित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.06.2012 पारित करते समय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की भूमि की किस्म /वर्गीकरण चारागाह के अंकन की जांच नहीं की और प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है जो विधि सम्मत नहीं हैं। इस प्रकार प्रश्नगत नामान्तरकरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गयी है ओर उक्त प्रविष्टि के आधार पर अपीलार्थी की खनन संबंधी गतिविधियां बाधित हो रही हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2012 में संशोधन किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1159 में वर्णित अपीलार्थी को आवंटित भूमि की किस्म/ वर्गीकरण गे.मु. खान के बजाय जमाबन्दी संवत् 2061–64 में वर्णित भूमि की किस्म/वर्गीकरण चारागाह अंकित किये जाने और इसी अनुसार अधिकार अभिलेख में अंकन किये जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित कराया जाये।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम चमनपुरा तहसील बनेडा के नामान्तरकरण संख्या 1159 चूंकि खनन लीज आदेश की पालना में भरा गया था जो कि 30 वर्षों के लिए लीज पर आवंटन हुयी थी, जिसकी किस्म राजस्व विभाग के आदेश के बिना परिवर्तन किया जाना नियमान्तर्गत नहीं था किन्तु पटवारी हल्का चमनपुरा द्वारा सेहवन से नामान्तरकरण 1159 के कॉलम संख्या 5 में दर्ज किस्म चारागाह के बजाय कॉलम संख्या 12 में किस्म गे.मु. खान का अंकन कर दिया गया जबकि कॉलम संख्या 12 में किस्म चारागाह का ही अंकन एवं उक्तानुसार ही अमल दरामद होना था।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त जाहिर आया कि तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी रोटेशन संवत् 2069–72 के खाता संख्या 406 पर आराजी नं. 717/1, 718/1, 722/1, 726/1, 727/1, 1336/1, 1346/1, 1347/1, 1348/2, 1354/1, 1356/1 कुल किता 11 मूल आराजियात से नवीन नम्बर बने होने से नामान्तरकरण के

जिला कलेक्टर (राज.)

कॉलम 12 अनुसार किस्म गे.मु. खान का अंकन हुआ एवं नामान्तरकरण में दर्ज शेष मूल आराजी नं. 723, 724, 725, 1343, 1350, 1353 कीता 6 में किस्म चारागाह का अंकन किया गया, जो वर्तमान में यथावत हैं। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1159 चूंकि खनन लीज आदेश की पालना में भरा गया था जो कि 30 वर्षों के लिए लीज पर आवंटन हुयी थी, जिसकी किस्म राजस्व विभाग के आदेश के बिना परिवर्तन किया जाना नियमान्तर्गत नहीं था किन्तु पटवारी हल्का चमनपुरा द्वारा सेहवन से नामान्तरकरण 1159 के कॉलम संख्या 5 में दर्ज किस्म चारागाह के बजाय कॉलम संख्या 12 में किस्म गे.मु. खान का अंकन कर दिया गया जबकि कॉलम संख्या 12 में किस्म चारागाह का ही अंकन एवं उक्तानुसार ही अमल दरामद होना था। इस प्रकार पटवारी हल्का चमनपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1159 के कॉलम संख्या 12 में किस्म चारागाह के बजाय किस्म गे.मु. खान त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा द्वारा पारित ग्राम चमनपुरा के नामान्तरकरण संख्या 1159 दिनांक 04.06.2012 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम चमनपुरा तहसील बनेडा के नामान्तरकरण संख्या 1159 की आराजी नं. 717/1, 718/1, 722/1, 726/1, 727/1, 1336/1, 1346/1, 1347/1, 1348/2, 1354/1, 1356/1 कुल किता 11 में वर्णित अपीलार्थी को आवंटित भूमि की किस्म/वर्गीकरण गे.मु. खान के बजाय जमाबन्दी संवत् 2061–64 में वर्णित भूमि की किस्म/वर्गीकरण चारागाह अंकित किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)